न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—200/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/200

अपीलाण्ट :—

01.मानाराम पुत्र उदारामजी उम्र 59 वर्ष जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

02.भरत कुमार पुत्र पुनारामजी उम्र 28 वर्ष जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

03. अणसी पत्नि पुनारामजी 71 वर्ष जांति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

04.अर्जुनलाल पुत्र पुनारामजी उम्र 26 वर्ष जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

05.जगदीश पुत्र पूनारामजी उम्र 30 वर्ष जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

06.श्रवण कुमार पुत्र पुनारामजी उम्र 23 वर्ष जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

01 मथरा पत्नि मंशाराम जाति सरगरा उम्र बालिग निवासी 101 डी पथिक नगर सवीना, हिरण मगरी, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान)

02 कुईयाराम पुत्र स्व. सदाजी जाति सरगरा निवासी हरजी तहसील आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

03 वावुनाथ पुत्र गुलाबनाथ उम्र बालिग निवासी मडिया तहसील व जिला सिरोही (राजस्थान)

04 ग्राम पंचायत हरजी, पंचायत समिति आहोर, जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्रामपंचायत हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

05 राजस्थान सरकार जरिये हितेश त्रिवेदी, तहसीलदार, आहोर जिला जालोर (राजस्थान)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 03/01/2024 नामान्तकरण अपील संख्या 05/2023 अनवान मथरा बनाम कुईया व अन्य द्वारा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आहोर

उपस्थिति :—
1. श्री नवीन दवे, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री पारसमल बाराडा, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 24/12/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर के अपील संख्या 05/2023निर्णय दिनांक 03.01.2024 बअनवान मथरा बनाम कुईया व अन्य से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपील से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा माननीय सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) आहोर जिसे इसके पश्चात इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया गया है. में मौजा हरजी के नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 10/05/1990 के विरुद्ध एक अपील इस आशय की पेश की कि अपीलार्थीया वर्तमान अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 (जिसे इस अपील के ज्ञापन में प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 नाम से सम्बोधित किया गया है) व अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 व इस अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 के पिता स्व. सदा पुत्र अन्नाजी जाति सरगरा निवासी हरजी की मौजा हरजी के खसरा नम्बर 703 रकबा 0.53 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 857 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर पर प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 को अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। सदा पुत्र अन्ना के दो सन्तान थी एक प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 व दुसरा प्रतिउत्तरदाता संख्या 02। आज से 23 वर्ष पूर्व सदा का स्वर्गवास हो गया था। ग्राम पंचायत हरजी द्वारा दिनांक 10/05/1990 को नामान्तकरण संख्या 148 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 का नाम दर्ज नहीं किया गया जो नियमों के विपरीत है। प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 अपने पिता सदा से प्राप्त 1/2 हिस्से पर काबिज है जो हर आम व खास की जानकारी में निर्बाध व अनवरत रूप से कब्जा काश्त है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 प्रभाव में आने पर पुत्रियों को पिता की मृत्यु पर ही अधिकार उत्पन्न हो जाता है, वही उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के द्वारा कृर्षि भूमि को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत हरजी को नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 10/05/1990 को उत्तराधिकारियों की विधिवत जानकारी लेनी चाहिए थी। अपीलाण्ट को कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया जिसके चलते अपीलाण्ट अपने अधिकारों से वंचित रह गयी। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015(2) पेज सं. 990 पेश किया । बिनायदावा तब उत्पन्न हुआ जब कुईया ने दरगाराम पुत्र कैसा को बेचान कर दी व दरगाराम ने आगे मानाराम व पुनाराम को बेचान कर दी। आज भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 से 06 (इस अपील में अपीलाण्ट) के नाम दर्ज है, जिन्होंने मौके पर आकर अपीलाण्ट को इस सीजन में काश्त नहीं करने की

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

धमकी दी तब जानकारी प्राप्त हुई. जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा अविलम्ब नामान्तकरण की नकल प्राप्त की जो अपीलान्ट को दिनांक 23/08/2023 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होते ही अपील न्यायालय में पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29/08/2023 को प्रस्तुत इस अपील को उसी रोज दिनांक नामान्तकरण अपील संख्या 05/2023 के अनवान मथरा विरूद्ध कुईया व अन्य के रूप दर्ज कर विना परिसीमा के विषय का निर्धारित किए अपील को दर्ज कर उसमें एकतरफा स्थगन आदेश परित करते हुए प्रतिउत्तरदातागण को नोटिस जारी किए, जिसमें से प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 का नोटिस व्यक्तिगत तामिल प्राप्त हुआ, वही अपीलान्ट के नोटिस "लेने से ईन्कार लिख कर" व अन्य हस्तलिपि में "मातवरो के रूबरू इन्कार किया" की टिप्पणी व नीचे शंकरलाल व जगदीश नाम के दो व्यक्तियों के मात्र हस्ताक्षर विना इनकी वलदियत व पता लिखे वापस अधीनस्थ न्यायालय में तहसील आहोर के सवार पृथ्वीसिंह के द्वारा रिपोर्ट कर पुनः प्राप्त हो गए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विना अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किए अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए इस अपील में प्रश्नगत आदेश दिनांक 03/01/2024 के द्वारा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत हरजी द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 10/05/1990 को निरस्त कर प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 को सदा का उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए उसे मौजा हरजी के खसरा नम्बर 857 व 703 में 1/2 हिस्से की खातेदारी के लिए उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के लिए नए सिरे से नामान्तकरण कार्यवाही काआदेश कर दिया। जिस पर तहसीलदार आहोर के पद पर कार्यरत श्री हितेश त्रिवेदी ने प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 की मिलवाट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अपील में प्रश्नगत आदेश दिनांक 03/01/2024 के विरूद्ध अपील की अवधि गुजरे बिना व अपीलार्थी जिनके हित उक्त निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामान्तकरण संख्या 2166 स्वीकृत दिनांक 29/01/2024 द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया व इसका लाभ उठाकर प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अपना नाम राजस्व अभिलेख में गलत रूप से दर्ज होने का तहसीलदार आहोर के पद पर पदस्थापित हितेश त्रिवेदी के साथ मिलावट में दिनांक 29/01/2024 को उसी रोज एक कागजी बेचान दस्तावेज प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 के नाम पंजीकृत करवा दिया गया। अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 20/04/2024 को वर्तमान जमाबन्दी online देखने पर व राजस्व जमाबन्दी व मौजा हरजी के नामान्तकरण संख्या 2166 व 2188 की नकल online प्राप्त करने पर अपीलार्थी संख्या 01 को इस अपील में प्रश्नगत प्रकरण व प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में करवाए गए वेनामी व कागजी बेचान दस्तावेज की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी द्वारा इनकी नकल के लिए आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त होते ही विना किसी अनावश्यक विलम्ब के यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व अन्याय पूर्ण होने व निम्न अवैधता धारित करने के चलते बनाए नहीं रखे जा सकते है :

(अ) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में प्रश्नगत आदेश की पत्रावली नामान्तकरण अपील संख्या 05/2023 में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश करते समय अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किया है जिसके चलते अपील की कार्यवाही पूर्णरूपेण दूषित हो गई है। तामिल कुनन्दा पृथ्वीसिंह द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार व मौतवीरों के रूबरू लेने से इन्कार किया, दो टिप्पणीयां की गई है व मौतवीरों के मात्र नाम लिखे हुए है, उनके पिता के नाम जाति व निवास के बारे में कोई तथ्य ऐसा तथ्य अंकित नही किया गया है जिससे कि मौतवीरों की पहचान सुनिश्चित की जा सकें. इसके बावजूद इस टिप्पणी को सही मानकर भारी भूल की है। जिसके चलते अपीलार्थीगण जिनके हितों पर इस अपील के आदेश का दुष्प्रभाव पड रहा है, को सुनवाई का अधिकार नहीं मिला जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही दूषित व अवैध हो गई जिसके चलते इस अपील में प्रश्नगत आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता।

(ब) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में प्रतिउत्तरदाता संख्या 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में भी अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। प्रतिउत्तरदाता संख्या 04 जो कि एक विधिक व्यक्ति है, की ओर से नोटिस प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरकर्ता की मोहर व पद का अंकन नहीं होने के बावजूद उसे विधिवत तामिल मानकर भारी कानूनी भूल की है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2013(2) पेज सं. 986 पेश किया ।

(स) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील न्यायालय के रूप में काम करने में राजस्व न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए ग्राम पंचायत हरजी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 148 का दस्तावेज भी तलब न कर बाले बाले इस अपील में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है इस संबध न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2012(2) पेज सं. 1267 पेश किया। जिसके चलते भी अपील में प्रश्नगत आदेश बनाए नहीं रखा जा सकता।

(द) प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा मौजा हरजी के नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 10/05/1990 के विरूद्ध 33 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारण पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को दर्ज करते समय ही परिसीमा के विषय पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए था, वो नहीं किया और ना ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर कोई स्पीकिंग आदेश ही पारित किया है।

(य) अधीनस्थ न्यायालय बतौर अपील न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 को सदा का उत्तराधिकारी प्रमाणित करता हो व ना ही कोई ऐसा दस्तावेज था जो प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 का मौके पर कब्जा होने को प्रमाणित करता हो उसके बाजवूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 का अपील की संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मौजा हरजी के खसरा नम्बर 703 व 857 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर में खातेदार मानते हुए उसका नाम 1/2 हिस्से के लिए दर्ज करने का आदेश देकर न केवल भारी भूल की है, वरन अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य अपील न्यायालय के अपील के निस्तारण में विधिक आचरण के पूर्णतः विपरीत है। जिसके चलते भी अपील में प्रश्नगत आदेश बनाए नहीं रखा जा सकता।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

(र) प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील में इस तथ्य का पैरा संख्या 6 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर रखी है, इस अपील में प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 द्वारा दरगा पुत्र कैसा को उक्त आराजी का बेचान कर दिया गया था व दरगा से इस अपील के अपीलार्थी संख्या 01 मानाराम व अपीलार्थी संख्या 02 से 06 के पूर्व पुरुष पुनाराम को बेचान कर दिया गया है। इस स्थिति के मौजा हरजी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 703 व 857 के संबंध में भरे गए नामान्तकरण संख्या 148 के पश्चात् खरीददारान के हितों पर क्या प्रभाव पडेगा, इस विषय पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते हुए इस अपील में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसके चलते भी अपील में प्रश्नगत आदेश बनाए नहीं रखा जा सकता।

(ल) अपील में प्रश्नगत आदेश में तहसीलदार आहोर की मिलीभगत से पारित हुआ है जिसका प्रमाण उसके माताहत पृथ्वीसिंह द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के विरुद्ध जान–बूझकर एकतरफा कार्यवाही करवाकर उन्हें सुनवाई के अवसर से वंचित रखने की नियत से की गई गलत टिप्पणी व इस अपील में पारित निर्णय दिनांक 03/01/2024 के विरुद्धअपील की अवधि 60 दिवस गुजर जाने से पूर्व मौजा हरजी के नामान्तकरण संख्या 2166 को दिनांक 24/01/2024 को खुलवाने व उसे दिनांक 29/01/2024 की शाम 4 बज कर 7 मिनट पर स्वीकृत करने, उससे पूर्व दिनांक 29/01/2024 को सुबह 11.45 बजे प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 के पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज को पंजीयन के लिए स्वीकार करने की समयावली से पता चलता है, राजस्व अधिकारी तहसीलदार की इसी मिलीभगत के चलते भी इस अपील में प्रश्नगत आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता।

तहसीलदार आहोर के पद पर नियुक्त हितेश त्रिवेदी द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 का नाम गलत रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज कर देने के लिए खोले गए नामान्तरणकरण संख्या 2166 के स्वीकृत होकर लोक होने से पूर्व पंजीयन हेतु स्वीकार फर्जी व कागजी दस्तावेज के आधार पर प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 के नाम बेचान दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के चलते व उसका नाम नामान्तकरण संख्या 2188 द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो जाने के चलते प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 को इस अपील में पक्षकार संयोजित किया गया है। साथ ही तहसीलदार आहोर के पद पर पदस्थापित श्री हितेश त्रिवेदी को इस प्रकरण में बतौर तहसीलदार पक्षकार संयोजित किया गया है, ताकि न्यायालय हितेश त्रिवेदी का पक्ष जानकर उसके विरूद्ध स्ट्रकचार पारित करने में सक्षम हो सके।

अपीलार्थीगण को अपील में पारित आदेश की जानकारी विलम्ब से होने पर विलम्ब से अपील पेश की जा रही है, इस विलम्ब को अनुज्ञात करवाने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा नामान्तकरण अपील संख्या 05/2023 अनवान मथरा देवी विरूद्ध कुईया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03/01/2024 को आपस्त फरमावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6\. वकील रेस्पोडेण्टस सं. 1 से 3 की ओर से लिखित बहस में अभिकथन किया है कि –

सरहद मौजा हरजी के खसरा नम्बर 703 रकबा 0.53 है., खसरा नम्बर 857 रकबा 0.43 है. कुल रकबा 0.96 है. की आराजी सदा पुत्र अन्ना सरगरा के नाम दर्ज थी । उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कुईया पुत्र सदा के नाम म्युटेशन सं. 148 भरा जाकर दिनांक 10.05.1990 को स्वीकृत कर मथरा पुत्री सदा के नाम 1/2 हिस्से का नही भरकर मथरा के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारो एवं हक हिस्से से वंचित कर दिया जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके प्रावधानो के विरूद्ध भरा जाकर केवल कुईया के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2024(1) पेज सं. 355 पेश किया है।

उक्त आराजी पर लगातार मथरा का ही अपने हक 1/2 हिस्से पर कब्जा अनुसार काबिज है। कुईया ने दरगाराम पुत्र केसा को बेचान कर दी एवं दरगाराम ने मानाराम व पुनाराम को बेचान कर दी तब कुईया ने बेचान करते अपने बहन मथरा का हिस्सा होने की बात दरगाराम को बताई तब दरगाराम ने मानाराम और पुनाराम को बैचान की तब दरगाराम ने भी मथरा का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने की जानकारी दी तब उन्होने बतया कि हमे तो केवल खरीदनी है । हम 1/2 हिस्से की आराजी पर मथरा की मृत्यु के बाद कब्जा कर लेगे । लेकिन मथरा को अपीलान्टस द्वारा सिजन के समय एक राय होकर कब्जा खाली करने की धमकी दी तब नकले निकाली और जानकारी होने से दिनांक 29.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी, आहोर के समक्ष एक मजबूत आधारो पर आधारित म्यूटेशन अपील पेश की गई।

अपील दिनाक 29.08.23 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर में दर्ज कर एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर नोटिस जारी किये । कुईया ने स्वयं तामिल किया। रेस्पो. स. 2 से 7 ने नोटिस लेने से इंकार किया जिस पर मौतबिरान जगदीश पुत्र नारायण बागरी व शंकरलाल पुत्र जेठाजी बागरी निवासीगण हरजी ने हस्ताक्षर किये जो तामिल मानकर दिनांक 13.10.23 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एक्सपार्टी की गई एवं पत्रावली बहस हेतु रखी गई । जिस पर दिनांक 19.10.24 को बहस सुनी गई। दिनांक 3.1.24 की पुनः बहस सुनी जाकर अपील स्वीकार की जाकर मृतक सदा पुत्र अन्नाजी के विधिक वारिसान अपीलाण्ट/रेस्पोडेण्ट सं. 1 मथरा का भी रेस्पोडेण्ट/अपीलाण्टस सं. 1 से 6 के साथ–साथ 1/2 हिस्से के अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु नये सिरे से म्यूटेशन की कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

उक्त निर्णय की पालना में म्यूटेशन सं. 2166 दिनांक 24.1.24 को स्वीकृत क रनाम राजस्व रेकर्ड में अमल दर्ज किया गया । रेस्पोडेण्ट मथरा का नाम दर्ज होने पर अपीलाण्टस अन्य अजनबी लोगो से मरने मारने की धमकिया देने लगे तब मजबूरन तंग व परेशान होकर मथरा ने मुझ

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

रेस्पोडेण्ट सं. 3 बाबुनाथ को दिनांक 29.1.2024 को बेचान की गई तब से 1/2 हिस्से पर बाबुनाथ का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

श्रीमानजी के समक्ष दिनांक 3.5.2024 को निर्णय के चार माह बाद अर्थात म्याद बाहर पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करना था लेकिन म्याद बाहर होने के बावजूद विधिक प्रावधानो के विरूद्ध अपील पेश की है। जबकि अपीलाण्टस को नोटिस तामिल होने से जानकारी थी उसे बाद भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के परे जाकर म्याद बाहर अपील पेश की है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2024(1) पेज सं. 731 पेश की है। जो पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अपील के सारे तथ्य मनगंढत एवंत तथ्यहीन व सारहीन होने से अपील खारीज योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील संवैधानिक अधिकारी के विपरित, म्याद बाहर बलहीन एवं सारहीन होने से न्यायहित में खारिज फरमाई जावे।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि मथरा को सदा की पुत्री है या नही को प्रमाणित करना चाहिए क्योकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। न ही अधिनस्थ न्यायालय में कही उल्लेख है। पंचायत द्वारा जारी पहचान पत्र में फोटो 26 वर्ष पुराना होने के बावजूद फोटो पुर्व व आज एक नही हो सकते है। सरपंच के हस्ताक्षर तोलचंद लिखा गया है जबकि कई दस्तावेज में तोलाराम गर्ग भी दस्तखत के है। जाति प्रमाण पत्र में भी तहसीलदार के हस्ताक्षर चुन्नीलाल प्रजापत की जगह हरिकृष्ण दाधिच होनो चाहिए था। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि कुईयाराम द्वारा खरीदशुदा भूमि पर ही सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करवा दिया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को तामील विधिवत नही करवाई गई है। रेस्पो. स.3 भू माफिया है जिसका मौके पर कोई कब्जा नही है। उल्टा भु माफिया के सदस्यो द्वारा अपीलार्थीगण को धमकाया जा रहा है। मौजा हरजी के ना.करण सं. 148 को 33 वर्ष पश्चात प्रशनगत किया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार नही किया गया है। रेस्पो. स. 1 से 3 द्वारा एक ही अधिवक्ता की नियुक्ति मिलिभगत को दर्शाती है। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत म्युटेशन गलत भरा गया है। मथरा का ही अपने हक 1/2 पर कब्जा अनुसार काबिज है। अपीलाण्टस द्वारा सीजन के समय रेस्पो सं. 1 को धमकी दी तथा कहा की हमे तो भूमि खरीदनी है मथरा की मृत्यु के बाद कब्जा कर लेगे। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में म्यूटेशन सं. 2166 दिनांक 24.1.24 को स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया । अपील म्याद बाहर होने से पोषणीय नही है। निवेदन किया कि अपील के सारे तथ्य मनगंढत एवं तथ्यहीन व सारहीन होने से अपील खारीज किया करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

21/11/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट्स मथरा के मृतक सदा की पुत्री नही होने अथवा होने बाबत् क्रमशः अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 3 द्वारा अपने अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजात न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये गये है।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 3 की ओर से मथरा देवी पुत्री सदाराम का जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार आहोर द्वारा क्रम संख्या 234 दिनांक 25.11.1998 को जारी किया गया एवं फोटो पहचान पत्र द्वारा श्री तोलचंद सरपंच ग्राम पंचायत हरजी दिनांक 15.12.1999 को जारी तथा पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 23.11.1998 की फोटो प्रति पेश कर मथरा देवी के सदाराम की पुत्री होने का कथन किया गया है।

अपीलाण्ट द्वारा उक्त दस्तावेजात के संबंध में अपने लिखित बहस के साथ कथन किया है कि मथरा को सदा की पुत्री है या नही को प्रमाणित करना चाहिए क्योकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। न ही अधिनस्थ न्यायालय में कही उल्लेख है। पंचायत द्वारा जारी पहचान पत्र में फोटो 26 वर्ष पुराना होने के बावजूद फोटो पुर्व व आज एक नही हो सकते है। सरपंच के हस्ताक्षर तोलचंद लिखा गया है जबकि कई दस्तावेज में तोलाराम गर्ग भी दस्तखत के है। जाति प्रमाण पत्र में भी तहसीलदार के हस्ताक्षर चुन्नीलाल प्रजापत की जगह हरिकृष्ण दाधिच होनो चाहिए था। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि कुईयाराम द्वारा खरीदशुदा भूमि पर ही सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करवा दिया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को तामील विधिवत नही करवाई गई है। रेस्पो. स.3 भू माफिया है जिसका मौके पर कोई कब्जा नही है। उल्टा भु माफिया के सदस्यो द्वारा अपीलार्थीगण को धमकाया जा रहा है। मौजा हरजी के ना.करण सं. 148 को 33 वर्ष पश्चात प्रशनगत किया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार नही किया गया है। रेस्पो. स. 1 से 3 द्वारा एक ही अधिवक्ता की नियुक्ति मिलिभगत को दर्शाती है। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत म्युटेशन गलत भरा गया है। मथरा का ही अपने हक 1/2 पर कब्जा अनुसार काबिज है। अपीलाण्टस द्वारा सीजन के समय रेस्पो सं. 1 को धमकी दी तथा कहा की हमे तो भूमि खरीदनी है मथरा की मृत्यु के बाद कब्जा कर लेगे। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में म्यूटेशन सं. 2166 दिनांक 24.1.24 को स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया । अपील म्याद बाहर होने से पोषणीय नही है। निवेदन किया कि अपील के सारे तथ्य मनगंढत एवं तथ्यहीन व सारहीन होने से अपील खारीज किया करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

इस बाबत वक्त बहस वकील रेस्पोडेण्ट्स ने कथन किया कि मृतक सदा की माता कंकूदेवी के अन्य जगह नाता जाने पर मथरा के

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पिता का नाम जगाराम गलती से अंकित किया गया है। जो सत्यता से परे है जबकि मथरा वास्तव में कंकू पत्नी सदा के गर्भ से ही जन्मी हुई पुत्री है। इस संबंध में दिनांक 02.01.2024 को रेस्पोडेण्ट्स मथरा द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया। जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि मेरे पिता, स्व. सदाजी के मै एवं मेरा भाई कुयाराम उर्फ फुलाराम दोनो जायन्दा औलाद है। मेरे पिता स्व. सदाजी की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी माता हम दोनो लेकर उनके पिहर सुगालिया बालोतान लेकर गयी थी। उस समय हम दोनो नाबालिग थे। मेरी माता कोकुदेवी ने पुर्नः विवाह ग्राम मौशाल, तहसील शिवंगज में किया था तथा हम दोनो नाबालिग भाई बहन को मेरी नानी ने हमे पाल पोष कर बड़ किया। उसके बाद हम दोनो बालिग होने पर हरजी आये जहां पर हमारी सामाजिक रिति रिवाज अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ था। एवं मेरे पिता की खातेदारी में उनकी मृत्यु के बाद मेरे भाई कुयाराम उर्फ फुलाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया एवं भुलवंष मेरा नाम नही लिखा जाकर मेरे अधिकारो से वंचित किया गया था। फिर मेरे भाई कुयाराम उर्फ फुलाराम ने अपने विवाह का कर्ज होने के कारण खातेदारी को दरगाराम को बैचान की गई थी। हम दोनो सगे भाई व बहन है तथा हमारे अलावा और कोई वारीशान नही है। उक्त शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

उक्तानुसार दोनो पक्षों द्वारा मथरा के मृतक सदा की पुत्री होने अथवा नही के बाबत् प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर यह धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विस्तृत जांच का विषय था एवं तहसीलदार द्वारा वारिशान की जांच कर नामान्तरकरण पुनः दर्ज किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3.1.2024 को आदेश पारित किया जा चुका है। जिसके अनुपालना में तहसीलदार द्वारा बाद जांच म्यूटेशन संख्या 2166 द्वारा मृतक सदा की पुत्री मथरा को 1/2 का खातेदार दर्ज किया जा चुका है। इस न्यायालय का यह अभिमत है कि मृतक सदा की पैतृक सम्पति में पुत्री का हक है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में भी यही विधि के स्थिति है अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य नही है।

अतः प्रकरण तहसीलदार को प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर का निर्णय दिनांक 03.01..2024 विधि सम्मत पारित किया गया है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है। निर्देशित किया जाता है कि म्युटेशन संख्या 148 दिनांक 10.05.90 को खारीज किया जाता है। एवं म्युटेशन संख्या 2166 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 2.12.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)